



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 292 राँची, बुधवार,

22 जून, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

21 जून, 2022

विषय:-डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु कुल 1,54,55,854/-रु. की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-05/न.वि./विविध (EESL)-02/2021/2102--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र की सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पथ-प्रकाश की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य है।

पुनः नित्य विकास की ओर अग्रसर झारखण्ड राज्य में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा दक्ष तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग समयानुकूल है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अनुमान के अनुसार पारम्परिक स्ट्रीट लाइटिंग को एलईडी में परिवर्तित कर लगभग 50% ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दि.-09.08.2016 के द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में **Annuity Model** के आधार पर **LED** पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम **M/s Energy Efficiency Service Ltd. (EESL)** की मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3. **M/s EESL** के द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार डोमचांच नगर पंचायत में कुल **1804 LED** स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन की आवश्यकता है। मेसर्स **EESL** द्वारा उक्त स्वीकृति के क्रम में डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत **LED** स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन तथा **CCMS (Central Control & Monitoring System)** के लिए **Earthing** के प्रावधान हेतु **Annuity Model** के आधार पर कुल **1,54,55,854/-** रु. का योजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
4. महाप्रबंधक (सब-ट्रान्समिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, धुर्वा, राँची के पत्रांक-181 दिनांक-14.03.2021 द्वारा अग्रसारित उक्त योजना हेतु मेसर्स **EESL** द्वारा तैयार प्राक्कलन पर निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

Phase II: Installation of LED Lights on Vacant Electric Poles (1804 Nos.)					
S.	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (in Rs.)
1	LED light- 120 W	361	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	4332000
2	LED light- 75 W	902	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	6765000
3	LED light- 40 W	541	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	2164000
4	Total Cost of LED lights				13261000
5	Infrastructure development charge		@10% of S.No. 4		1326100
6	Project Management consultancy		@3% of S. No. 4 & 5		437613
	Total (A)		13522241.70	1502471.30	15024713.00

Infrastructure Development Component for Phase II					
S.	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (in Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	52	2000	1000	156000
	Total (B)		104000	52000	156000
	Material Supply Cost			Rs.	13626241.70
	Manpower Cost			Rs.	1554471.30
(C)	Supervision Cost (@15% of Manpower Cost)			Rs.	233170.70
(D)	CGST + SGST@18% of Supervision Cost			Rs.	41970.72
	Total Project Cost (A)+(B)+(C)+(D)			Rs.	1,54,55,854.42
				Say	Rs. 1,54,55,854

- उक्त योजना के अन्तर्गत डोमचांच नगर पंचायत में कुल 1804 LED Light लगाने पर कुल रु. 1,54,55,854/- की लागत आयेगी। डोमचांच नगर पंचायत द्वारा M/s Energy Efficiency Service Ltd. को प्रतिवर्ष रु. 41,30,151/- का भुगतान किया जायेगा।
- डोमचांच नगर पंचायत द्वारा रु. 41,30,151/- का भुगतान M/s Energy Efficiency Service Ltd. को अगले 07 वर्षों तक किया जायेगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक LED Light के लिए M/s Energy Efficiency Service Ltd. को 2,289/-रु. का भुगतान किया जायेगा।
- उक्त योजना के हेतु CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के लिए लागत 1,56,000/-रु. तथा योजना का पर्यवेक्षण लागत 2,33,171/- रु. आयेगा, जिसका भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा क्रमशः M/s Energy Efficiency Service Ltd. एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को डोमचांच नगर पंचायत के माध्यम से Upfront Payment Basis के आधार पर किये गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।
- M/s EESL द्वारा Annuity Model पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु अगले सात वर्षों तक राशि का भुगतान निकाय के नागरिक सुविधा मद से किया जाएगा।
- M/s Energy Efficiency Service Ltd. द्वारा झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के साथ MOU किया गया है। डोमचांच नगर पंचायत हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर डोमचांच नगर पंचायत के द्वारा M/s Energy Efficiency Service Ltd. के साथ MOU किया जायेगा, जिसके प्रारूप पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

10. **M/s Energy Efficiency Service Ltd.** द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दिनांक-09.08.2016 के प्रावधानों तथा नगर विकास एवं आवास विभाग एवं डोमचांच नगर पंचायत के साथ हस्ताक्षरित **MOU** के अनुरूप सेवाएँ प्रदान की जायेगी।
11. **LED Light** के अधिष्ठापन के पश्चात् अपेक्षित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर 2% दंड शुल्क का प्रावधान किया गया है, जो **AMC** से वसूलनीय होगी। **LED Street Light** से संबंधित समस्त शिकायतों का निपटारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत 48 घंटे के अंदर सर्वश्री **EESL** के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. डोमचांच नगर पंचायत के द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में **LED Light** अधिष्ठापित खम्भों पर विज्ञापन, आदि के माध्यम से नियमानुसार राजस्व संसाधन जुटाए जाएँगे, जिनका सर्वप्रथम उपयोग इस व्यवस्था के अन्तर्गत किए जाने वाले भुगतान हेतु किया जाएगा।
13. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
